

भारत सरकार/Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र/Indira Gandhi Centre for Atomic Research प्रशासन (सतर्कता अनुभाग)/Administration (Vigilance Section)

सं./Ref.09(02)/01/2024/Vig./ t056

फरवरी /February 20, 2024

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

इंगांपअकें के दिनांक 27.03.2023 के कार्यालय आदेश संदर्भ सं. IGCAR/2/2022-23/RTI/Admn(Vig)/1389 के अधिक्रमण में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्वतः संज्ञान से प्रकटीकरण हेतु समिति को निम्नवत पुनर्गठित किया जाता है:

In supersession of IGCAR Office Order Ref.IGCAR/2/2022-23/RTI/Admn(Vig)/1389 dated 27.03.2023, the Committee on *suo motu* disclosure under RTI Act, 2005 is reconstituted as below:

İ.,	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी Chief Administrative Officer & First Appellate Authority	:: -	अध्यक्ष Chairman
ii.	प्रशासनिक अधिकारी-III (स्थापना एवं सतर्कता) एवं सीपीआईओ Administrative Officer – III (E&V) & CPIO	= "	सदस्य Member
iii.	प्रशासनिक अधिकारी III (भर्ती, विधि, सामान्य) Administrative Officer-III (RLG)	-17	सदस्य Member
iv.	श्री नरेंद्र कुमार कुशवाहा, वैअ/जी, प्रधान, डब्ल्यूएमएसएस, एसक्यूआरएमजी Shri. Narendra Kumar Kushwaha, SO/G, Head, WMSS, SQRMG	=	सदस्य Member
٧.	श्रीमती एन.मदुरै मीनाची, वैअ/एफ, प्रधान, ओसीईस-टीएस, एसक्यूआरएमजी Dr. N. Madurai Meenachi, SO/G, Head, OCES-TS, SQRMG	=	सदस्य Member
vi.	सहायक कार्मिक अधिकारी (सतर्कता) एवं एपीआईओ Assistant Personnel Officer (Vigilance) & APIO	-	सदस्य Member

संदर्भ की शर्ते/Terms of reference:

1. समिति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वत :संज्ञान से प्रकट की जाने वाली सूचना की जांच/समीक्षा करेगी।

The Committee will examine/review *suo motu* disclosure of information under Section 4 of RTI Act, 2005.

2. सिमिति उन सूचनाओं की श्रेणियों की पहचान करेगी जो आवेदकों द्वारा अक्सर मांगी जाती हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में प्रकट की जाए ताकि इसे उपयोगकर्ता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा सके और अद्यतनीकरण के लिए नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा सके।

The Committee will identify the categories of information that are frequently asked by applicants to see that such information is disclosed in public domain to make it more user friendly and review at regular intervals for updation.

3. सिमिति आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्वतः संज्ञान से प्रकट की जाने वाली सूचना की जांच/सिमीक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बैठक करेगी और अपनी रिपोर्ट निदेशक, इंगांपअकें को सौंपेगी। The Committee shall meet as and when required to examine/review the information for suo motu disclosure under RTI Act, 2005 and submit its report to Director, IGCAR.

इसे निदेशक, इंगांपअकें की अनुमोदन से जारी किया जाता है। This is issued with the approval of Director, IGCAR.

> पी. वी. माणे (पी. टी. मणि / P. T. Mani)

प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना एवं सतर्कता)/ Administrative Officer-III (E&V)

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण/ Chairman & Members of the Committee

प्रतिलिपि: निदेशक कार्यालय, इंगांपअकें / Copy to: Office of Director, IGCAR